

14.2.25 वकील सायल उपस्थित। गैरसायल संख्या 3
एवं उसके वकील उपस्थित नहीं। इनके विरुद्ध
सम्पत्तिकाथी कार्रवाई अमल के लिये जारी है।
प्राथम्य पर वकील सायल को सुना गया।
सायल का कथन है कि गैरसायलान
विमती की अनुज्ञा पर कलजा करना

चाहते हैं। सायल को वेद प्रकाश कर
 चाहते हैं। कहे वारा नहीं कराना चाहते
 हैं। पञ्जाबी को अवलोकन दिया
 सायल द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत
 नहीं दिया है जिससे यह सिद्ध हो
 सके कि सायल ने ऐसा कोई कृत्य
 किया है जिससे सायल को अपूर्ण
 हुआ है। अतः सायल अपने कथनों
 को सिद्ध नहीं कर पाया है। प्रार्थना पर
 212 RTI शक्रेण दिया जाता
 है। पञ्जाबी को ललशुका लोक
 सेलोन मूलक रहे।

जज कलक्टर मुहम्मद
 बोलपुर (राज.)